न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 16/2024 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

1. जयराम पुत्र रमेशकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. अजयकुमार पुत्र दलसुखराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. किरण पुत्री हनुमानदास जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. छोटुराम/छोटुलाल/छोटू पुत्र हनुमानदास/हनुमान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. नत्थुराम पुत्र सहीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. बलराम पुत्र सहीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. रामनिवास पुत्र सहीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. रामस्वरूप पुत्र सहीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. विजयकुमार पुत्र हनुमानदास जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. सन्तोष कुमारी पत्नी हनुमानदास जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री नन्दलाल गोल्याण वकील–प्रार्थीगण
श्री विनोदकुमार स्वामी वकील–अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 09-7-2024

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02.02.2024 को विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये वकील पेश किया गया कि चक 6 के0डब्लयू0डी के खाता संख्या नया 57 पुराना 7 के प0नं0 160/399 मु0नं0 23 के किला नं0 1 की 0.2530है0, 8 की 0.2150है0, 9 ता 13 की 1.2650है0, 14 की 0.0630है0, 17 की 0.1640है0, 18 ता 20 की 0.7590है0, 21/2 की 0.2280है0, 22/1 की 0.2280है0, 23/1 की 0.2280है0, 24/2 की 0.2150है0, 25 की 0.0380है0, प0नं0 160/400 मु0नं0 25 के किला नं0 1 ता 4 की 1.0120है0, 5 की 0.1010है0, 6 की 0.2280है0, 7 ता 15 की 2.2770है0 16/1 की 0.1390है0, 17 ता 23 की 1.7710है0, 24/2 की 0.1520है0 प0नं0 161/400 मु0नं0 24 के [illegible] 10 की 0.0130है0, 11 की 0.0630है0 कुल तादादी 9.41[illegible] 1 का 1779/18824 हिस्सा भूमि व प्रार्थी संख्या 2 का 1779/9412 हिस्सा, [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 515/37648 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1961/18824 हिस्सा व [illegible]/37648 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 79/2353 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 79/2353 हिस्सा, अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

संख्या 5 का 79/2353 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 का 317/9412 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7 का 515/37648 हिस्सा व 1961/18824 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 8 का 515/37648 हिस्सा व 2113/9412 हिस्सा, वाद पत्र के तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 का 1779/18824 हिस्सा भूमि सांझा खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी चक 6 के0डब्लयू0डी के खाता संख्या नया 18 पुराना 18 के प0नं0 160/400 मु0नं0 25 के किला नं0 16/2 की 0.1140है0, 24/1 की 0.1010है0, 25 की 0.2530है0, प0नं0 161/400 मु0नं0 24 के किला नं0 11/1 की 0.0380है0, 20 की 0.2020है0, 21 की 0.2530है0, 22 की 0.0640है0 कुल तादादी 1.0250है0 कमाण्ड भूमि अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा भूमि सांझा खाता मे राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजी मे हम अप्रार्थीगण एवं प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 व वादपत्र के तरतीबी प्रतिवादी सख्या 9 के नाम से दर्ज कागजात है। जिसमे उक्त भूमि बाबत दिनांक 06.06.1994 को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पड़दादा/दादा/पिता दलसुख के वारीसान के द्वारा बंटवारानामा किया था। जिसे दिनांक 17.12.1997 को ऑथ कमिश्नर के समक्ष उपस्थित होकर प्रमाणित करवाया था। जिसमे उक्त भूमि बंटवारे के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 के दादा पिता व प्रार्थी संख्या 2 स्वंय काबिज एवं दाखिल चले आ रहे थे व आज भी बंटवारा नामा के अनुसार ही उक्त भूमि पर हम प्रार्थीगण व हमारे परिवार के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। इसप्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 के पिता व दादा तथा प्रार्थी संख्या 2 पिछले लगभग 40 वर्षो से अधिक समय से लगातार काबिज एवं दाखिल चले आ रहे है। बंटवारानामा के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 के दादा आशाराम पुत्र दलसुखराम व पिता रमेश पुत्र आशाराम के हिस्से मे चक 6 के0डब्लयू0डी के प0नं0 160/400 के किला नं0 16 ता 18 की 3 बीघा, 21 ता 25 की 5 बीघा कुल 8 बीघा व प0नं0 161/400 के किला नं0 20 की 13 बिस्वा, 21 की 19 बिस्वा, 22 की 4 बिस्वा कुल 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त है लेकिन चक 6 के0डब्लयू0डी के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या नया 57 पुराना 7 मे सांझा खाता मे कुल भूमि 9.4120है0 मे प्रार्थी संख्या 1 की 1779/18824 हिस्सा व वाद पत्र के तरतीबी प्रतिवादी सख्या 9 का 1779/18824 हिस्सा भूमि है जो सात बीघा आधा बिस्वा बनती है। इसी चक 6 के.डब्लयू.डी के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या नया 18 पुराना 18 की कुल 1.0250है0 मे अप्रार्थीगण संख्या 2 व 7 ब0हि0ब0 है। जबकि प0नं0 161/400 के मु0नं0 24 के किला नं0 20 की 0.2020है0, 21 की 0.2530है0, 22 की 0.0640है0 भूमि पर प्रार्थी [illegible] व वादपत्र के तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 के कब्जा काश्त मे है। प्रार्थी संख्या [illegible] को बंटवारानामा के अनुसार चक 6 के.डब्लयू.डी के प0नं0 160/400 के किला नं0 6 मे 18 बिस्वा, 7 मे 20 बिस्वा, 8 मे 20 बिस्वा, 11 ता 15 की 5 बीघा व 1[illegible] 20 की 2 बीघा कुल 9 बीघा 18 बिस्वा व प0नं0 161/400 के किला नं0 10 की 1 बिस्वा व 11 की 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

बिस्वा कुल 6 बिस्वा इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि कब्जा काश्त मे है। जबकि चक 6 के.डब्लयू.डी की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या नया 57 मे कुल भूमि 9.4120है0 मे सांझा खाता मे 1779/9412 हिस्सा अर्थात 7 बीघा आधा बिस्वा भूमि दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 मे वर्णित भूमि मुझ वादी के परिवार के पास पिछले 40 वर्षो से अधिक समय से हमारे कबजा काश्त मे लगातार चली आ रही है। उक्त भूमि मे प्रार्थी संख्या 1 के पिता/दादा द्वारा करावा लगाकर समतल किया व ट्यूबवैल व सिंचाई के लिए डिग्गी बनाकर बाग भी लगाया जाकर भूमि को उपजाऊ बनाया गया लेकिन उक्त भूमि को हम प्रार्थीगण के हिस्से मे आने के बाद प्रार्थीगण ने सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिए जमाबंदीया निकलवाई तो पता चला की जमाबंदी मे दर्ज भूमि बंटवारा नामा व कब्जा काश्त के अनुसार कम है। चक 6 के0डब्लयू0डी मे बंटवारानामा मे 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि है जो 9 बीघा भूमि 16 बिस्वा भूमि प्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी संख्या 1 के भाई वादपत्र के तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 के कब्जा काश्त मे है। लेकिन जमाबंदी मे 7 बीघा 1/2 बिस्वा भूमि प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 1 के भाई वाद पत्र के तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज है। इसप्रकार बंटवारानामा के आधार पर लगातार कब्जा काश्त के अनुसार जमाबंदी मे 2 बीघा 15, 1/2 बिस्वा भूमि कम दर्ज है। चक 6 के0डब्लयू0डी मे बंटवारानामा मे 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि है जो 10 बीघा भूमि 4 बिस्वा भूमि प्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त मे है। लेकिन जमाबंदी मे 7 बीघा 1/2 बिस्वा भूमि प्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। इसप्रकार बंटवारानामा के आधार पर लगातार कब्जा काश्त के अनुसार जमाबंदी मे 3 बीघा 3, 1/2 बिस्वा भूमि कम दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित कृषि भूमि बंटवारानामा के आधार पर कब्जा काश्त मे लगातार चलती आ रही है लेकिन उक्त प्रार्थीगण के परिवार की भूमि पर लगातार 40 वर्षो से अधिक समय से लगातार चल रहे कब्जा काश्त से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 बेदखल करने की धमकीया दे रहे है अगर अप्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि की फसल को नष्ट करते है तो प्रार्थीगण एवं प्रार्थी संख्या 1 के भाई वादपत्र के तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 को अपूर्णीय क्षति होगी जिससे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो पर विपरित असर पड़ता है इसलिए हम प्रार्थीगण उक्त भूमि को मुताबिक बंटवारा नामा के आधार पर घोषित करवाने का हकदार एवं दावेदार है। यही आधार प्रार्थना पत्र है। प्रार्थनापत्र की मद संख्या 5 मे वर्णित आराजी मे अप्रार्थीगण संख्या 1 [illegible] कर्ता खानदान के तहत सारी भूमि को अलग अलग कम ज्यादा [illegible] है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने [illegible] संख्या 1 ता 8 अपने इस मकसद मे कामयाब होते [illegible] ना पुरा होने वाला नुकसान होगा एवं मुकदमे बाजी भी बढेगी इसलिए हम प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को उनके इस मकसद मे कामयाब होने से रूकवाने के लिए उनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

प्राप्त करने के हकदार एवं दावेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज 6 केडब्ल्यूडी बहक अजयकुमार वगैरह, जमाबन्दी 6 केडब्ल्यूडी बहक छोटू वगैरह, फोटोप्रति घरू बंटवारनामा, फोटोप्रति गिरदावरी चक 6 केडब्ल्यूडी बहक छोटू वगैरह पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2, 8 ने जरिये वकील उपस्थित आकर दिनांक 12.06.2024 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अपने जबाब में लिखा कि "प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वाद पत्र पेश किया जाना स्वीकार हैं। अन्य मद अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 अस्वीकार हैं। उक्त कृषि भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में गलत नामान्तरण दर्ज किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या 2 छोटूराम व प्रतिवादी संख्या 7 विजय कुमार के नाम श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चुडावत से दिनांक 21.08.1971 को चक नम्बर 6 के.डब्ल्यु.डी. के पत्थर नम्बर 160/400(25) किला नम्बर 4, 5, में 8 बिस्वा, किला नम्बर 6 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 7, 14, 15, 16 में 11 बिस्वा, किला नम्बर 17, 21 में 12 बिस्वा कुल 7 बीघा 9 बिस्वा, पत्थर नम्बर 161/400(24) किला नम्बर 10 में एक बिस्वा, किला नम्बर 11 में 5 बिस्वा कुल 6 बिस्वा इस प्रकार कुल 1.9610 हैक्टेयर कृषि भूमि खरीद की थी। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2, 7 काबिज चले आ रह हैं व अप्रार्थीया संख्या 8 संतोष कुमारी पत्नी हनुमानदास ने उसी रोज जरिये बैयनामा दिनांक 28.08.1971 को श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चूडावत से उसकी खातेदारी कृषि भूमि में से चक नम्बर 6 के.डब्ल्यु.डी. के पत्थर नम्बर 160/399(23) के किला नम्बर 11, 17 की 13 बिस्वा, किला नम्बर 18 ता 20, 21 ता 23 में प्रत्येक में 18–18 बिस्वा, किला नम्बर 24 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 25 में 3 बिस्वा कुल 8 बीघा 7 बिस्वा यानि 2.1130 हैक्टेयर कृषि भूमि खरीद की थी। उसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। इसी प्रकार अप्रार्थीगण नत्थूराम, बलराम, रामस्वरूप, रामनिवास पि0 सहीराम ने भी श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चूडावत से उसी खाता की 38 बीघा 12 बिस्वा में विशिष्ट किलों, पत्थर नका बैयनामा पत्थर नम्बर 160/400 किला नम्बर 1,10,11,20,21 कुल 5 बीघा को दिनांक 21.08.2071 को करवाया उसके साथ भी नक्शा लगा हुआ हैं व उसी अनुसार अप्रार्थीगण काबिज हैं। इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 2 ने भी अपने विशिष्ट किलो व पत्थर का बैयनामा दिनांक 21.08.1971 को करवाया जो पत्थर नम्बर 160/400 किला नम्बर 3–8–13–18–23 की 5 बीघा का हैं। उसके साथ भी नक्शा लगा हुआ हैं। इसी अनुसार अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण अपने अपने कब्जानुसार काबिज हुए। इसी प्रकार दिनांक 21.08.1971 को ही प्रार्थी संख्या 1 के दादा आ[illegible]न ने अपने हक में पत्थर नम्बर 160/400 के किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 22 की 5 [illegible] का बैयनामा विशिष्ट किलों का करवाया। इसी अनुसार काबिज हुए व आज भी इसी अनुसार काबिज हैं। प्रार्थी संख्या 1 के दादा व प्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 के हक में खरीद के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

भूमि के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण के अधिकारों का हनन है और वंचित करने की नियत से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई है। जरिए बैयनामा खरीदशुदा व खातेदारी कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 अस्वीकार है। प्रार्थीगण क्लीन हैंड से नहीं आए है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 2, 7, 8, के नाम जरिए बैयनामा खरीदशुदा भूमि पर अच्छी–अच्छी भूमि पर काबिज होना चाहते है व निर्माण करना चाहते है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण ही जरिए बैयनामा खरीदशुदा कृषि भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारिता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, साक्ष्य न्याय का सिद्धान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त कृषि भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में गलत नामान्तरण दर्ज किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या 2 छोटूराम व प्रतिवादी संख्या 7 विजय कुमार के नाम श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चुडावत से दिनांक 21.08.1971 को चक नम्बर 6 के.डब्ल्यु.डी. के पत्थर नम्बर 160/400(25) किला नम्बर 4, 5, में 8 बिस्वा, किला नम्बर 6 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 7, 14, 15, 16 में 11 बिस्वा, किला नम्बर 17, 21 में 12 बिस्वा कुल 7 बीघा 9 बिस्वा, पत्थर नम्बर 161/400(24) किला नम्बर 10 में एक बिस्वा, किला नम्बर 11 में 5 बिस्वा कुल 6 बिस्वा इस प्रकार कुल 1.9610 हैक्टेयर कृषि भूमि खरीद की थी। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2, 7 काबिज चले आ रह हैं व अप्रार्थीया संख्या 8 संतोष कुमारी पत्नी हनुमानदास ने उसी रोज जरिये बैयनामा दिनांक 28.08.1971 को श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चूडावत से उसकी खातेदारी कृषि भूमि में से चक नम्बर 6 के.डब्ल्यु.डी. के पत्थर नम्बर 160/399(23) के किला नम्बर 11, 17 की 13 बिस्वा, किला नम्बर 18 ता 20, 21 ता 23 में प्रत्येक में 18–18 बिस्वा, किला नम्बर 24 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 25 में 3 बिस्वा कुल 8 बीघा 7 बिस्वा यानि 2.1130 हैक्टेयर कृषि भूमि खरीद की थी। उसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। इसी प्रकार अप्रार्थीगण नत्थूराम, बलराम, रामस्वरूप, रामनिवास पि0 सहीराम ने भी श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत से उसी खाता की 38 बीघा 12 बिस्वा में विशिष्ट किलों, पत्थर नका बैयनामा पत्थर नम्बर 160/40[illegible] किला नम्बर 1,10,11,20,21 कुल 5 बीघा को दिनांक 21.08.2071 को करवाया उसके साथ भी [illegible] लगा हुआ हैं व उसी अनुसार अप्रार्थीगण काबिज हैं। इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 2 ने भी अपने विशिष्ट किलो व पत्थर का बैयनामा दिनांक 21.08.1971 को करवाया जो पत्थर नम्बर 160/400

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

समय ही किलो, पत्थरोनुसार ही बैयनामा करवाया व उसी अनुसार काबिज हुए व आज भी काबिज हैं। बैयनामा का इन्तकाल करते समय सहबन से इंतकाल हिस्सा कस्सी में दर्ज कर दिया गया। रिकॉर्ड में नियमानुसार अलग अलग खाते कायम होने चाहिए पर इन्तकाल मुस्तरफा में दर्ज हो गया। क्योंकि एक ही परिवार का था। सब अपनी अपनी खरीद की आरजी पर काबिज थे। इसलिए इस राजस्व रिकॉर्ड में हुई भूल की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया। सबने अपने अपने विशिष्ट रकबा पर लोन भी ले रखा हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख 3 अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पड़दादा/दादा/पिता दलसुख द्वारा कोई बंटवारानामा निष्पादित नहीं करवाया। उक्त दस्तावेज न पंजीकृत हैं और न ही नोटेरी के समक्ष निष्पादित किया गया हैं। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण मुताबिक बैयनामा काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण लालची किस्म के व्यक्ति हैं जो अच्छी अच्छी भूमि हाईवे पर काबिज होना चाहते हैं और अप्रार्थीगण द्वारा अप्रर्थी संख्या 1,2,7,8 को अपने अधिकारों व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित करने व अपने रकबा पर रहन, बैय करने से पाबन्द किया हैं जो अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 7, 8 के अधिकारों का हनन हैं। इसलिए प्रार्थीगण माननीय न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज करवा पाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 06.06.1994 को वाहमी बंटवारा होना व उसके आधार पर खातेदार होना व काबिज होना ब्यान किया है जो कतई अवैध व विधि विरूद्ध है। दावाधीन समस्त आराजी पक्षकारान मुकदमा की खरीद शुदा है। जो उनके नाम अलग–अलग दर्ज है। बैयनामा भी भूमि के पत्थर व विशिष्ट किलों के आधार पर हुई है कानूनन भी खरीददार की भूमि दूसरे खरीददार की भूमि दूसरे खरीददार के नाम नहीं लग सकती है। इसके लिए अलग से कानून कायदे बने हुए है तथा कथित बंटवारानामा के आधार पर काश्तकारी सम्पति हस्तान्तरण, पंजीयन, अधिनियम स्टाम्प एक्ट आदि का उल्लंघन होता है। इस प्रकार का दस्तावेज कभी भी अमल में नहीं आया व ना ही कोई बंटवारा ही हुआ। समस्त काश्तकार अपने–अपने नाम की खातेदारी आराज पर काबिज है। इस प्रकार तथाकथित वाहमी बंटवारा ना तो हुआ व ना ही कभी अमल में आया। प्रार्थीगण ने जो बंटवारा व कब्जा दिखाया है वह कतई अवैध व गलत है। अप्रार्थीगण के कब्जा में वहीं भूमि है जिसका बैयनामा हमारे नाम है। वरवक्त बैयनामा ही यह तय कर लिया गया कि किसके नाम से कितनी व कौनसी भूमि खरीद है। तो फिर वाहमी बंटवारा करने की आवश्यकता कहां रह गई। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना [illegible] फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 अस्वीकार है। [illegible] ही नहीं तो बंटवारानामा के आधार पर बंटवारा का मतलब ही नहीं। उक्त बंटवारानामा अवैध व शून्य दस्तावेज है। उक्त कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा कृषि भूमि है जिस पर मुताबिक बैयनामा अप्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है। जरिए बैयनामा खरीदशुदा व खातेदारी कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

किला नम्बर 3–8–13–18–23 की 5 बीघा का हैं। उसके साथ भी नक्शा लगा हुआ हैं। इसी अनुसार अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण अपने अपने कब्जानुसार काबिज हुए। इसी प्रकार दिनांक 21.08.1971 को ही प्रार्थी संख्या 1 के दादा आशाराम ने भी अपने हक में पत्थर नम्बर 160/400 के किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 22 की 5 बीघा का बैयनामा विशिष्ट किलों का करवाया। इसी अनुसार काबिज हुए व आज भी इसी अनुसार काबिज हैं। प्रार्थी संख्या 1 के दादा व प्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 के हक में खरीद के समय ही किलो, पत्थरोनुसार ही बैयनामा करवाया व उसी अनुसार काबिज हुए व आज भी काबिज हैं। बैयनामा का इन्तकाल करते समय सहबन से इंतकाल हिस्सा कस्सी में दर्ज कर दिया गया। रिकॉर्ड में नियमानुसार अलग अलग खाते कायम होने चाहिए पर इन्तकाल मुस्तरफा में दर्ज हो गया। क्योंकि एक ही परिवार का था। सब अपनी अपनी खरीद की आरजी पर काबिज थे। इसलिए इस राजस्व रिकॉर्ड में हुई भूल की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया। सबने अपने अपने विशिष्ट रकबा पर लोन भी ले रखा हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पड़दादा/दादा/पिता दलसुख द्वारा कोई बंटवारानामा निष्पादित नहीं करवाया। उक्त दस्तावेज न पंजीकृत हैं और न ही नोटेरी के समक्ष निष्पादित किया गया हैं। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण मुताबिक बैयनामा काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण लालची किस्म के व्यक्ति हैं जो अच्छी अच्छी भूमि हाईवे पर काबिज होना चाहते हैं और अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1,2,7,8 को अपने अधिकारों व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित करने व अपने रकबा पर रहन, बैय करने से पाबन्द किया हैं जो अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 7, 8 के अधिकारों का हनन हैं। इसलिए प्रार्थीगण माननीय न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज करवा पाने के अधिकारी है।'' वकील अप्रार्थी ने दस्तावेज फोटोप्रति बैयनामा, वादपत्र संख्या 397/2022 अनवान छोटुलाल आदि बनाम नत्थुराम आदि की प्रति पेश किये।

अप्रार्थी सं. 3, 5, 6, 7 ने जरिये वकील श्री विकास टोकसिया उपस्थित आकर ईकबाल प्रार्थना पत्र पेश किये। अप्रार्थी सं. 4 बावजुद विधिवत रजि0 नोटिस तामिल के उपस्थित नहीं आया इसलिये अप्रार्थी सं. 4 के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई।

वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कनफर्म की जोव। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी सं. 1, 2, 8 ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 छोटूराम व प्रतिवादी संख्या 7 विजय कुमार ने श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चुडावत से दिनांक 21.08.1971 को चक नम्बर 6 के.डब्ल्यु.डी. कुल 1.9610 हैक्टेयर तथा अप्रार्थीया संख्या 8 संतोष कुमारी पत्नी हनुमानदास ने दिनांक 28.08.1971 को श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चूडावत से उसकी खातेदारी कृषि भूमि में से चक नम्बर 6 के. डब्ल्यु.डी. की 2.1130 हैक्टेयर कृषि भूमि खरीद की थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि है। अप्रार्थीगण भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। जिन्हे अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग का पूर्ण अधिकार है। इसलिये इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.02.2024 खारीज की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 09-7-2024 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
रावतसर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested